न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः – श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

अपील संख्याः 07/2015 दायर दिनाँक 22.09.2015

अपीलार्थीगण		रेस्पोडेन्ट्स
1. पुष्पाकँवर पुत्री स्वर्गीय नारायणसिंह पत्नी अजीतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सुद्रासन, हाल,निवासी–गुढा गौड़जी, तहसील–उदयपुरवाटी, जिला–झुझुनूँ, राजस्थान, 2. चन्द्रप्रभा पुत्री स्वर्गीय नारायणसिंह पत्नी जितेन्द्रसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सुद्रासन, हाल,निवासी–रायथल हाऊस, चाँदपोल बाजार, जयपुर, राजस्थान, 3. मनोहरकँवर स्वर्गीय नारायणसिंह पत्नी भगवानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सुद्रासन, हाल,निवासी–तलवाड़ा झील, तहसील–टिब्बी, जिला–हनुमानगढ, राजस्थान।	बनाम्	1. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय नारायणसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सुद्रासन, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. ग्रामपंचायत सुद्रासन, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 827 दिनाँक 06.01.2006
द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सुद्रासन।

उपस्थित :–

1. श्री हाकम अली खाँ, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश मोट, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 04.12.2017

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, अपीलाण्ट के पिता स्वर्गीय नारायणसिंह के नाम खेत खसरा नम्बर 170 रकबा 17.17 बीघा, खसरा नम्बर 235 रकबा 38.16 बीघा, खसरा नम्बर 245 रकबा 11.04 बीघा, खसरा नम्बर 233 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

04 बीघा, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.04 बीघा, कुल खसरा 06, कुल रकबा 68.08 बीघा वाकै शरहद सुद्रासन में अवस्थित है।

स्वर्गीय नारायणसिंह के वंशज– महेन्द्रसिंह, गजेन्द्रसिंह, मनोहरकँवर, पुष्पाकँवर व चन्द्रप्रभा हैं।

दिनाँक 02.06.2005 को नारायणसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। नारायणसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बाला–बाला ही ग्रामपंचायत से साँठ–गाँठ करके दिनाँक 08.12.2005 को नामान्तकरण भरवा लिया जो कि अप्रार्थी संख्या 01 व महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज हुआ है। महेन्द्रसिंह का भी दिनाँक 23.06.2009 को स्वर्गवास हो चुका है जबकि नारायणसिंह के तीन पुत्रियाँ भी थी। उनका उक्त खाते में नामान्तरकरण नहीं दर्ज किया गया। दिनाँक 30.08.2015 को खतौनी की नकल ली गयी तब अपीलाण्ट को पता चला, जिससे व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपील पेश है:–

अपील के आधार–

1. योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है, जो अधीन अपील खारिज होने योग्य है।
2. योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आलौच्य आदेश पारित करने में तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि की है जो अधीन अपील खारिज होने योग्य है।
3. हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार किसी भी जायगा में मृतक की जायगा में पुत्र, पुत्रियों का बराबर हक हिस्सा होता है परन्तु रेस्पोडेन्ट ने ग्रामपंचायत से साँठ–गाँठ करके अपीलाण्ट का उक्त जायगा से महरूम कर दिया है।
4. अपीलाण्ट स्वर्गीय नारायणसिंह के विधिक उत्तराधिकारी है उक्त जायगा में अपीलाण्ट का 1/5 हक हिस्सा है।
5. अपीलार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में अपना हक अधिकार रखता है जिनको गलत नामान्तरकरण दर्ज कर उनकी पारिवारिक पैतृक सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जबकि रेस्पोडेन्ट्स ने ऐसा कृत्य किया है इस कारण आलौच्य आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

6. ग्राम पंचायत सुद्रासन ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से अनुचित साँठ–गाँठ करके स्वर्गीय नारायणसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों की वंशावली भी प्राप्त नहीं की एवं केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके स्वर्गीय भाई महेन्द्रसिंह के नाम फौतगी नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की यह कानूनी जिम्मेदारी थी कि वे स्वर्गीय नारायणसिंह के समस्त उत्तराधिकारियों का पैतृक कृषि भूमि में जरिये फौतगी नामान्तरकरण इन्द्राज करते जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने ऐसा नहीं किया। इस कारण आलौच्य आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य होने योग्य है। अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट के उक्त फौतगी नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने की जानकारी दिनाँक 30.08.2015 को हल्का पटवारी से नकल प्राप्त करने पर प्रथम बार हुई है।
7. अपीलार्थीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष दिनाँक 26.06.2012 को जरिये मुख्त्यार जयसिंह पुत्र भगवानसिंह के एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। उक्त वाद प्रस्तुत करते समय व उसके पश्चात् भी अपीलार्थीगण के मुख्त्यारखास जयसिंह पुत्र भगवानसिंह ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा दिनाँक 06.01.2006 को स्वर्गीय नारायणसिंह के उक्त फौतगी नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी इस कारण अपीलार्थीगण की अपील को अन्दर मयाद शुमार करने हेतु धारा 05 मर्यादा अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश है।
8. अपीलार्थीगण की अपील ग्राम पंचायत सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर द्वारा दिनाँक 06.01.2006 को स्वर्गीय नारायणसिंह के फौतगी नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध है जो माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा दिनाँक 06.01.2006 को स्वीकृत फौतगी नामान्तरकरण के आदेश को अधीन अपील अपास्त किया जावे।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किये गये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रत्यर्थीगण संख्या 02 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाने के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया जाने से अपील में जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकील अपीलार्थीगण की बहस मुख्यतः अपील पर आधारित रही।

वकील अपीलार्थीगण जरिये दरख्वास्त, म्यूटेशन संख्या 827 दिनाँक 16.01.2006 द्वारा ग्रामपंचायत सुद्रासन को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। अपीलार्थीगण जरिये वकील, यह भी निवेदन करते हैं कि, अपीलार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार से है। प्रत्यर्थीगण द्वारा गलत नामान्तरकरण दर्ज करवाया जाकर, अपीलार्थीगण को, उनकी पारिवारिक पैतृक सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, जबकि रेस्पोडेन्ट्स ने ऐसा ही किया है। इस कारण आलौच्य दर्ज नामान्तरकरण अपास्त किया जावे। ग्राम पंचायत सुद्रासन ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से स्वर्गीय नारायणसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों की वंशावली भी प्राप्त नहीं की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके स्वर्गीय भाई महेन्द्रसिंह के नाम फौतगी नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की यह कानूनी जिम्मेदारी थी कि वे स्वर्गीय नारायणसिंह के समस्त उत्तराधिकारियों का पैतृक कृषि भूमि में जरिये फौतगी नामान्तरकरण इन्द्राज करते जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने ऐसा नहीं किया। इस कारण उक्त नामान्तरकरण अपास्त किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

ग्रामपंचायत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व स्वर्गीय नारायणसिंह के विधिक वारिशान् की नियमानुसार सूची प्राप्त नहीं की है। स्वर्गीय नारायणसिंह के विधिक वारिशान्– महेन्द्रसिंह, गजेन्द्रसिंह, मनोहरकँवर, पुष्पाकँवर व चन्द्रप्रभा हैं। जबकि उक्त फौतगी नामान्तरकरण में स्वर्गीय नारायणसिंह के मात्र दो ही वारिशान् गजेन्द्रसिंह व महेन्द्रसिंह के नाम से नामान्तरकरण पारित किया गया है। स्वर्गीय नारायणसिंह के समस्त वारिशान् के नाम से नामान्तरकरण पारित किया जाना चाहिए था। ग्रामपंचायत के आदेश में विधिक् त्रुटि है। उक्त नामान्तरकण पारित करने

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

में ऐसा नहीं किया गया होने से, उक्त नामान्तरकण को अपास्त किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है और स्वर्गीय नारायणसिंह के समस्त वारिशान् के नाम से नामान्तरकरण पुनः पारित/दर्ज किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः म्यूटेशन संख्या 827 दिनाँक 06.01.2006 द्वारा ग्रामपंचायत सुद्रासन, खारिज किये जाने योग्य होने से, अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है।

–:: आदेश ::–

अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर सरहद मौजा सुद्रासन तहसील डीडवाना के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 827 दिनाँक 06.01.2006 में पारित ग्राम पंचायत सुद्रासन का अपीलाधीन "स्वीकृत आदेश" निरस्त कर तहसीलदार डीडवाना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि, स्वर्गीय नारायणसिंह के विधिक वारिशान् अपीलाण्ट्स संख्या 01 ता 03– पुष्पाकँवर, चन्द्रप्रभा व मनोहरकँवर तथा रेस्पोन्ट संख्या 01 गजेन्द्रसिंह व महेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय नारायणसिंह के नाम से नामान्तरकरण पुनः स्वीकृति की नियमानुसार कार्यवाही करे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 04.12.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–07–2015/रीडर/2017/ 1124 दिनाँक 7/12/17

प्रेषितः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 827 दिनाँक 06.01.2006
द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सुद्रासन।

अपीलार्थीगण		रेस्पोडेन्ट्स
1. पुष्पाकँवर पुत्री स्वर्गीय नारायणसिंह पत्नी अजीतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सुद्रासन, हाल,निवासी–गुढा गौड़जी, तहसील–उदयपुरवाटी, जिला–झुझुनूँ, राजस्थान, 2. चन्द्रप्रभा पुत्री स्वर्गीय नारायणसिंह पत्नी जितेन्द्रसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सुद्रासन, हाल,निवासी–रायथल हाऊस, चाँदपोल बाजार, जयपुर, राजस्थान, 3. मनोहरकँवर स्वर्गीय नारायणसिंह पत्नी भगवानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सुद्रासन, हाल,निवासी–तलवाड़ा झील, तहसील–टिब्बी, जिला–हनुमानगढ, राजस्थान।	बनाम्	1. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय नारायणसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सुद्रासन, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. ग्रामपंचायत सुद्रासन, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner